# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | रजिस्टर्ड नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026/1 | 01.1.2026 | 01.01.2026 |

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

**बनाम**

1. सुशील कुमार सक्सैना पुत्र श्री राधारमण सक्सैना जाति सक्सेना नि0 कस्बाडहरा तहसील व जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

**अपील प्रार्थना पत्र विरूद्ध आवंटन दिनांक 04.09.1987**

**उपस्थितः—**

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

**—निर्णय:—**

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम कस्बाडहरा, तहसील व जिला अलवर की हाल आराजी खसरा नं. 416/722 रकबा 3.79 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का 25 वर्षो हेतु वन विकास के लिए आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम कस्बा डहरा में साबिक खसरा नंबर 220 रकबा 15 बीघा का आवंटन श्रीमान जिलाधीश (राजस्व शाखा) अलवर के आदेश क्रमांक 10491 दिनांक 04.09.1987 से महकमा इन्जीनियरिंग के नाम दर्ज भूमि को निजी वन विकास हेतु श्री सुशील कुमार सक्सैना पुत्र श्री राधारमण सक्सैना सा० अलवर लीजी 25 वर्ष हेतु आवंटन किया गया था। जिस संबंध में उक्त आवंटन निरस्त हेतु विन्दूवार निवेदन निम्नानुसार हैः—

वाके ग्राम कस्बा डहरा के नामान्तरकरण सं० 383 दिनांक 07.10.1987 द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 10491 दिनांक 04.09.1987 व तत्कालीन तहसीलदार अलवर के आदेश क्रमांक 4004 दिनांक 11.09.1987 की पालना में महकमा इन्जीनियरिंग के नाम दर्ज भूमि को निजी वन विकास हेतु श्री सुशील कुमार सक्सैना पुत्र श्री राधारमण सक्सैना सा० अलवर लीजी 25 वर्ष हेतु आवंटन दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। सुलभ सन्दर्भ हेतु नकल नामा० सलंग्न है।

उक्त नामान्तरकरण में उक्त आवंटन 25 वर्षो हेतु किया जाने बाबत स्पष्ट अंकन है। अर्थात उक्त आवंटन 25 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। उक्त प्रासंगिक खसरा नंबर साबिक 220 के हाल नवीन खसरा नंबर 416/722 बने है।

वर्तमान जमाबन्दी ऑन लाईन के खाता सं० 256 पर उक्त खसरा नबर 416/722 रकबा 03.79है. किस्म बारानी सोयम सुशील कुमार सक्सैना राधारमण सक्सैना हिस्सा पूर्ण जाति सक्सैना सा. अलवर संस्था के लिए अ. विवि. लीज होल्डर 25 वर्ष दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त नामा० के आधार पर आवंटी का नाम तत्समय की जमाबन्दी से वर्तमान जमाबन्दी तक बदस्तूर चला आ रहा है। जबकि आवंटन की शर्तो अनुसार 25 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आवंटी अथवा उसके किसी भी विधिक वारिसानो द्वारा असालतन या वकालतन उक्त अवधि को वृद्धि कराये जाने बाबत कोई भी आवेदन इस कार्यालय में अथवा श्रीमान के समक्ष नहीं किया गया है तथा ना ही इस बाबत कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराये गये है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का कस्बा डहरा व उपतहसीलदार कस्बा डहरा अनुसार आवंटी को मौके पर कब्जा नहीं है तथा प्रासंगिक भूमि वर्तमान में निजी वन विकास के काम भी नहीं आ रही है।

अतिरिक्त जि.सा. कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में आवंटन का समय समाप्त होने व वर्तमान में आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ अग्रिम उचित आदेशार्थ श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार, अलवर द्वारा जरिये राजकीय अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया है कि ग्राम कस्बा डहरा, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा नं. 416/722 (साबिक खसरा नं. 220) रकबा 3.79 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, जो कि अप्रार्थी सुशील कुमार सक्सैना के पक्ष में दिनांक 04.09.1987 को 25 वर्षों के लिए 'निजी वन विकास' हेतु आवंटित की गई थी, उसे निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित भूमि का आवंटन जिलाधीश (राजस्व शाखा) अलवर के आदेश क्रमांक 10491 दिनांक 04.09.1987 के द्वारा महकमा इन्जीनियरिंग से लेकर 25 वर्ष की लीज पर निजी वन विकास हेतु किया गया था। इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 383 दिनांक 07.10.1987 तस्दीक हुआ। वर्तमान जमाबंदी (खाता सं. 256) में उक्त भूमि "सुशील कुमार सक्सैन लीज होल्डर 25 वर्ष" के रूप में दर्ज है। आवंटन की मूल शर्त के अनुसार 25 वर्ष की समयावधि वर्ष 2012 में ही समाप्त हो चुकी है तथा आवंटी या उनके वारिसान द्वारा लीज अवधि बढाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पटवारी हल्का और उपतहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर आवंटी का कोई कब्जा नहीं है और न ही भूमि का उपयोग "निजी वन विकास" के लिए किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, जमाबंदी, नामान्तरकरण की प्रति और पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवंटन दिनांक 04.09.1987 को 25 वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए किया गया था। यह अवधि दिनांक 03.09.2012 को स्वतः समाप्त हो चुकी है। आवंटन का मुख्य उद्देश्य "वन विकास" था। मौका रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि भूमि पर वन विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है और आवंटी का कब्जा भी नहीं है। राजस्थान भूमि आवंटन नियमों के तहत, यदि आवंटन की शर्तों (समय सीमा और भूमि का उपयोग) का उल्लंघन होता है, या लीज अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो भूमि को पुनः सरकार में निहित किया जाना विधि सम्मत है। चूंकि लीज अवधि समाप्त हुए एक लम्बा अरसा बीत चुका है और भूमि उद्देश्यहीन पड़ी है, अतः आवंटन को बदस्तूर रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी (सरकार जरिये तहसीलदार अलवर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। लीज अवधि की समाप्ति और शर्तों की अवहेलना (वन विकास न करना व कब्जा न होना) के कारण उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार अलवर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कस्बा डहरा, तहसील व जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नं. 416/722 रकबा 3.79 हैक्टेयर, जिसका आवंटन आदेश क्रमांक 10491 दिनांक 04.09.1987 द्वारा अप्रार्थी सुशील कुमार सक्सैना के पक्ष में 25 वर्षों के लिए किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में से अप्रार्थी (आवंटी) का नाम खारिज करें। उक्त भूमि को "सिवायचक" (राजकीय भूमि) के रूप में दर्ज कर, महकमा इन्जीनियरिंग/मूल विभाग या जैसा भी राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति हो, उसके अनुरूप अमलदरामद सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

**निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(मुकेश कुमार कायथवाल)**
**अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)**
**अलवर, (राज0)**